उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 17.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 17.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

"मिशन शक्ति 5.0 : जनपद महोबा में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सतत प्रयास"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 17.12.2025 को जनपद महोबा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अभियान के अंतर्गत जनपद के सभी थानों द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायतों एवं समुदायों में चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी समस्याओं के त्वरित एवं विधिक निस्तारण हेतु जागरूक किया गया। मिशन शक्ति के उद्देश्यों—महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन—को जन-जन तक पहुँचाने के लिए टीमों द्वारा सतत प्रयास किए गए।

थानों की एंटी-रोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चेकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान टीमों ने बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद के थानों में संचालित मिशन शक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान की।

साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों तथा महिला सुरक्षा कानूनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के दौरान निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों महिला हेल्पलाइन : 1090, आपातकालीन सेवा : 112, चिकित्सा सहायता : 108, बाल सहायता नंबर : 1098, साइबर हेल्पलाइन : 1930, साइबर शिकायत : cybercrime.gov.in की जानकारी भी दी गई।

इन सेवाओं के उपयोग हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि पुलिस हर समय उनके साथ है और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के माध्यम से महोबा पुलिस का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को और सुदृढ़ करना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 17.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 17.12.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

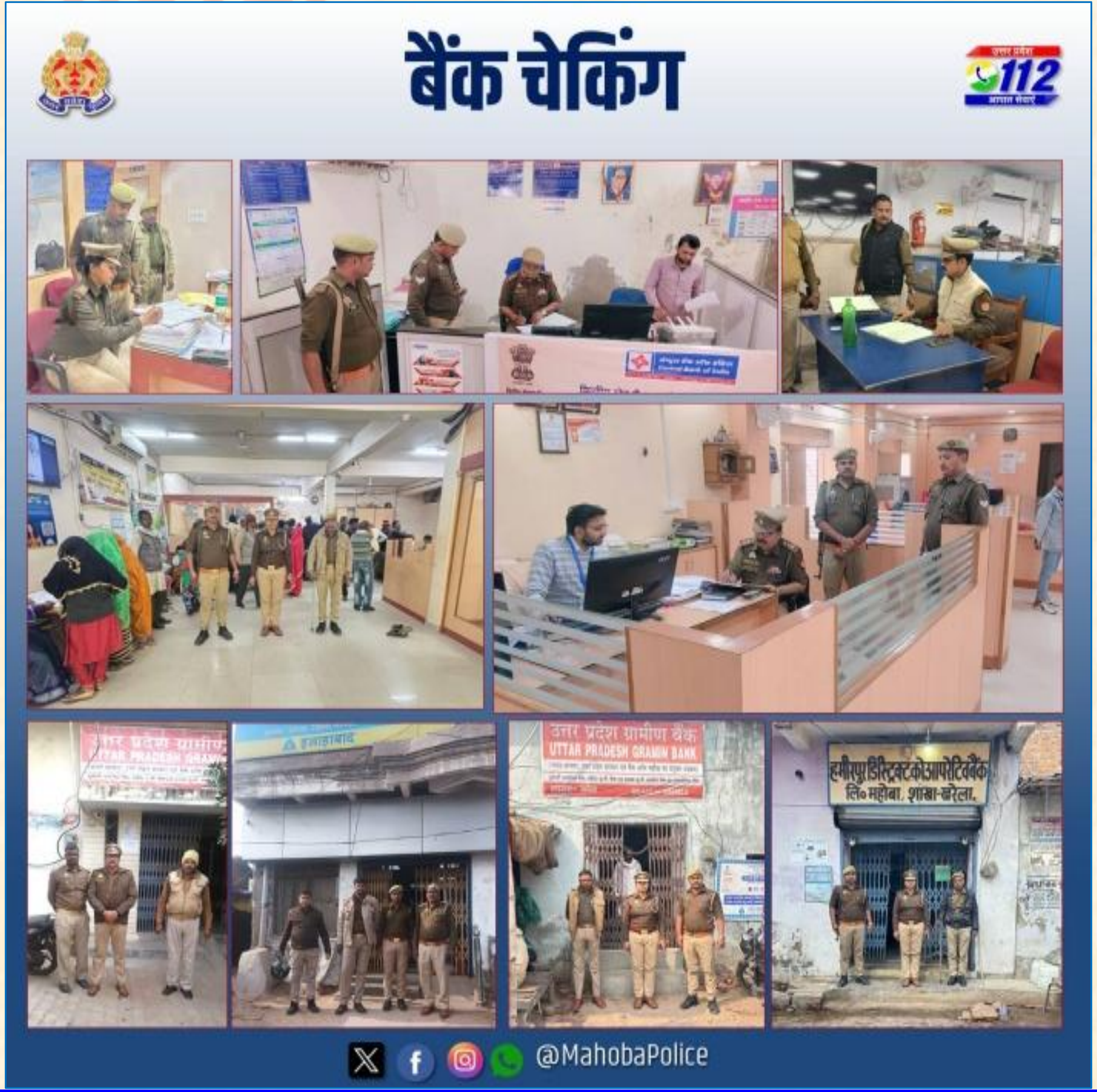

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफ़र अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-17.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 सुरेश कुमार मय हमराह कां0 मनोज कुमार व कां0 साहब सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राघुवेन्द्र अरजरिया उर्फ भज्जू पुत्र रामकुमार उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम तेलीपहाड़ी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 सुरेश कुमार थाना महोबकंठ जिला महोबा

2. कां0 मनोज कुमार 3.कां0 साहब सिंह यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

राघुवेन्द्र अरजरिया उर्फ भज्जू पुत्र रामकुमार उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 114/2024 धारा 352/354/452/504 भा0द0वि0 व 3(1)/(w)(i) 3(1)(घ)/3(1)(द)/3(2)(va) SC/ST Act व 8 पास्को एक्ट थाना महोबकंठ महोबा

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 17.12.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 बृजेश चतुर्वेदी मय हमराह कां0 सुधीर कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त जयपाल वर्मा पुत्र प्यारेलाल वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 2156/2025 धारा 138 NI Act में मा0 न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (जू0डि0) महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम सौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 बृजेश चतुर्वेदी
2. कां0 सुधीर कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

जयपाल वर्मा पुत्र प्यारेलाल वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 17.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले कम्पनी मैनेजर सहित कुल 04 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 विशाल बाजपेई व उ0नि0 संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित फर्जीवाड़े के मामले में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2025 धारा 318(4)/338/336(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 04 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अरविन्द यादव पुत्र राजासिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम कोटरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा 2.श्यामलाल सेन पुत्र रामरतन सेन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मुहल्ला रोशनपुरा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 3.बृजगोपाल अरजरिया पुत्र भगवानदास उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम छतरवारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा 4.निखिल चतुर्वेदी पुत्र माताचरण चतुर्वेदी उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ऐदलपुर पोस्ट पर्वतपुर थाना जालौन जनपद जालौन को ग्राम गोरखा थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक योजना के तहत अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सरकारी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर कूटरचित दस्तावेज लगाकर अनुचित बीमा कराया गया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 विशाल बाजपेई 2.उ0नि0 संजय कुमार सिंह 3.कां0 दीपेन्द्र यादव
4.कां0 निशान्त पटेल 5.कां0 अजय यादव 6.कां0 पंकज कुमार 7.हे0कां0 श्यामकिशोर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अरविन्द यादव पुत्र राजासिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम कोटरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2. श्यामलाल सेन पुत्र रामरतन सेन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मुहल्ला रोशनपुरा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

3.बृजगोपाल अरजरिया पुत्र भगवानदास उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम छतरवारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

4.निखिल चतुर्वेदी पुत्र माताचरण चतुर्वेदी उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ऐदलपुर पोस्ट पर्वतपुर थाना जालौन जनपद जालौन